


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अशोक कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बाप) सू.अ.अपील संख्या 83 / 2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.23	<p>अपीलार्थी अशोक कुमार मेघवाल पुत्र भोजाराम मेघवाल निवासी घटोर, तहसील बाप, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2022 में (1) श्री अनिता मीणा हल्का पटवारी सावरा गांव, तहसील बाप जिला जोधपुर द्वारा नियुक्त हेतु जो आवेदन प्रस्तुत हुआ तथा उसके साथ जो दस्तावेज संलग्न किए गए, उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि, (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बाप) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, बाप) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार, बाप) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बाप) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (रा. 13)</p>	